राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 01/2015/जयपुर.. ।

उनवान— मैसर्स एल्कोटेक इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा.लि., (नया नामः— इओलेन इलैक्ट्रोनिक्स, बैंगलोर प्रा.लि.) बी—140, रोड नं.9—डी, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त—प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2015	खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदन लाल, सदस्य उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण **अपील संख्या 1835/2014/जयपुर** **मैसर्स एल्कोटेक इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि., (नया नामः— इओलेन इलैक्ट्रोनिक्स, बैंगलोर प्रा.लि.) बी—140, रोड नं.9—डी, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त—प्रथम, जयपुर निर्णय दिनांक 17.12.2014** के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के संबंध में, निर्धारण अधिकारी के समक्ष पर्याप्त जमानत की प्रस्तुति के लिये दी गयी समयावधि को बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, व विभाग की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 13.01.2015 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उप—राजकीय अभिभाषक की ओर से प्रकरण में जमानत प्रस्तुति की समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के संबंध में निर्धारण अधिकारी के समक्ष पर्याप्त जमानत की प्रस्तुति हेतु निर्धारित समय सीमा इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस तक बढ़ायी जाती है । आदेश प्रसारित किया गया । 18.1-2015 (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	